



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 346]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 15, 2013/माघ 26, 1934

No. 346]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 15, 2013/MAGHA 26, 1934

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2013

का.आ. 373(अ).—जबकि मैसर्स नवभारत पावर प्राइवेट लिमिटेड (एनपीपीएल), आवेदक, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्रकाशदीप भवन, 10वां तल, 7, टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110001 में स्थित है, ने एनपीपीएल टीपीएस (2×525 मेगावाट) से अंगुल पूलिंग स्टेशन (पीजीसीआईएल) को समर्पित 400 केवी क्वाड डी/सी पारेषण लाइन के निर्माण के संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत अनुमोदन के लिए आवेदन किया है।

और, जबकि, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 20-09-2011 के पत्र सं. 11/2/2011-पीजी (नवभारत) के माध्यम से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के अंतर्गत मैसर्स नवभारत पावर प्राइवेट लिमिटेड (एनपीपीएल) नवभारत टीपीएस से अंगुल पूलिंग स्टेशन (पीजी) के लिए 400 केवी क्वाड डी/सी पारेषण लाइन के निर्माण का अनुमोदन प्रदान कर दिया था।

और, जबकि, आवेदक ने वर्तमान में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत उसे वे सभी शक्तियां प्रदान किए जाने का अनुरोध किया है जो टेलीग्राफ लाइनें और खंभों को लगाए जाने के संबंध में और सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित टेलीग्राफ को स्थापित करने के उद्देश्य से अथवा कार्यों के लिए स्थापित और अनुरक्षित किए जाने के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। स्कीम के अंतर्गत शामिल पारेषण लाइन निम्नलिखित गांवों, कस्बों और नगरों के ऊपर से, आस-पास से होकर गुजरेंगी :—

गाँवों का नाम : चिंतापोखरी, मेरामुंडलि

तहसील : ओड़ापोड़ा

जिला : ढेंकानाल

राज्य : ओडिशा

गाँवों का नाम : झारखंड, गलपारा, बिरांपारा, ब्राह्मणपुरणाकुट, लोंडेईलो, जुहारपुर

तहसील : हिंदोल

जिला : ढेंकानाल

राज्य : ओडिशा

गाँवों का नाम : बौरिगढ़, नोसोई, भागमुंदा, गिर्धीबसिया, फुलपारा

तहसील : अनगूल

जिला : अनगूल

राज्य : ओडिशा

इसलिए अब सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत आवेदक को वे सभी शक्तियां प्रदान करती है जो विद्युत के अन्तर्राज्यीय पारेषण हेतु उपरोक्त वर्णित अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनों की संस्थापना के लिए निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के अधीन सरकार द्वारा स्थापित अथवा रख-रखाव किए गए टेलीग्राफ या इस प्रकार स्थापित अथवा रख-रखाव किए जाने वाले टेलीग्राफ के उद्देश्यों हेतु टेलीग्राफ लाइनें और खम्बे लगाने के संबंध में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास होती है। अर्थात्:-

- i. अनुमोदन 25 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है।
- ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइनों के निर्माण से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों आदि की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
- iii. आवेदक को पारेषण, ओएंडएम, खुली पहुँच आदि के संबंध में उपयुक्त आयोग के निम्नलिखित विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- iv. आवेदक को एनपीपीएल टीपीएस (2X525 मेगावाट) से अंगुल पूलिंग स्टेशन (पीजीसीआईएल) को समर्पित 400 केवी डी/सी पारेषण लाइन के निर्माण के लिए उत्तरदायित्व सौंपा गया है। कार्य का ब्यौरा दिनांक 10.12.2011 में भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।
- v. आवेदक संबंधित राज्यों के मुख्य वैद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात् लाइनों का प्रचालन करेगा।
- vi. यह अनुमोदन विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की मांग का आवेदक द्वारा अनुपालना किए जाने के अधीन है।

[फा. सं. 11/37/2012-पीजी (एनपीपीएल)]

अरुण कुमार, निदेशक

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 12th February, 2013

S.O. 373(E).— Whereas M/s Navabharat Power Private Limited (NPPL), the applicant with its Registered Office at Prakash Deep Building, 10th Floor, 7, Tolstoy Marg, New Delhi - 110001 has applied for approval under Section 164 of the Electricity Act, 2003 in respect of construction of dedicated 400kV Quad D/C transmission line from NPPL TPS (2x525MW) to Angul pooling station (PGCIL).

And whereas Government of India, Ministry of Power vide letter No. 11/2/2011-PG(Navbharat) dated 20.09.2011 had granted approval under section 68 of the Electricity Act, 2003 to M/s Navabharat Power Private Limited (NPPL) for construction of Navbharat TPS-Angul Pooling Station(PG) 400 kV D/C Quad line.

And whereas the applicant has now requested to confer upon him all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003 which telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by the Government or to be so established or maintained for the works. The transmission line covered under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities :-

Names of Villages: Chintapokhari, Meramundali

Tehsil: Odapada
District: Dhenkanal
State: Orissa

Names of Villages: Jharabandha, Galpara, Birampara,
Bharmhanpurunakutu, Londeylo, Juharpur

Tehsil: Hindol
District: Dhenkanal
State: Orissa

Names of Villages: Bourigarh, Nosai, Bhagamunda, Girdhibasia,
Phulpara

Tehsil: Angul
District: Angul
State: Orissa

Now, therefore, after careful consideration, Government of India, Ministry of Power, confers, under section 164 of the Electricity Act, 2003, all the powers on the applicant which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by the Government or to be so established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned interstate transmission lines for inter-state transmission of electricity, namely:-

- (i) the approval is granted for 25 years;
- (ii) the Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;
- (iii) the Applicant shall have to follow regulations /codes of the appropriate commission regarding transmission, O&M, open access etc;

- (iv) the Applicant has been entrusted with the responsibility for construction of dedicated 400kV Quad D/C transmission line from NPPL TPS (2x525MW) to Angul pooling station (PGCIL). The details of the works are published in the Gazette of India of 10.12.2011.
- (v) the Applicant shall operate the lines after approval of Chief Electrical Inspector of respective States;
- (vi) the approval is subject to compliance by the Applicant to the requirement of the provisions of The Electricity Act, 2003 and the rules made there-under.

[F.No. 11/37/2012-PG(NPPL)]

ARUN KUMAR, Director